न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर. ए. एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 07/2022

प्रार्थी :– नैमसिंह पुत्र मंगलसिंह, जाति राजपूत, निवासी गोयलों की ढाणी लवेरा कलां, तहसील, बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी:–

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर राज.।
2. ग्राम पंचायत लवेरा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता :–

1. श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थी की ओर से।
2. सरकारी पैरोकार जरिये तहसीलदार बावड़ी अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक 11/03/2022

यह है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया की लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में अप्रार्थी संख्या दो के खाते में दर्ज भूमि आई हुई है, जो खसरा संख्या 341/15 रकबा 0.8090 हैक्टयर किस्म गै.मु.आबादी उक्त भूमि में प्रार्थी के अलावा सैकड़ों व्यक्ति बसे हुए है। जिसकों आगें के पद पर वादग्रस्त तरमीम के नाम से संबांधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी मय नक्शा की ई–सत्याप्रति सम्वत् 2073 से 2076 तक प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। उक्त खसरा को ऑनलाईन तरमीम करते समय प्रार्थी एवं अन्य लोगों के रहवासीय मकानात् बने हुए है। जिस पर लोग पुश्तैनी रूप से भौतिक रूप से बसे हुए है। मौके पर ऑनलाईन तरमीम करते समय सेवन से राजस्व से कर्मचारियों की भूल से भौतिक रूप से बसे आबादी स्थल को गलत तरमीम कर दिया। जिसको आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त तरमीम से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम लवेरा कलां की राजस्व सीमा में स्थित आबादी भूमि खसरा संख्या 341/15 गै.मु. आबादी रकबा 05 बीघा है। जिसमें गोयलों की ढाणी बसी हुई है तथा ढाणी में पक्के मकान बने हुए है। तथा आबाद रूप से ढाणी बसी हुई है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन तरमीम करते समय खसरा संख्या 341/15 को ऑनलाईन करते समय गोयलों की ढाणी को हटा कर अन्य जगह तरमीम कर दी, जहॉ पर कोई भी आबादी बसी हुई नही है। गोयलों की ढाणी पुरानी ढाणी है। जो चिर काल से बसी हुई है। इसी बसावट के आधार पर राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Scanned with CamScanner

सरकार से नियमानुसार उक्त ढाणी को आबादी मानते हुए 05 बीघा भूमि को आबादी घोषित कर राजस्व रेकर्ड में आबादी दर्ज की। लेकिन वक्त आबादी अलोटमेंट नामान्तरणकरण की पुश्त पर नक्शा अंकित नही किया। जिस कारण नक्शे की वास्तविक स्थिति अंकित नही हो सकी। जिस कारण वर्तमान नक्शे में इन्द्राज करते समय उक्त चुक हो गई जो रेकर्ड अशुद्धि में आता है। गोयलों की ढाणी में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के पट्टे जारी किये हुए है, तथा सरकार की ओर से जीएलआर पानी की टंकी बनी हुई है, सार्वजनिक टांके बने हुए है, पीएचडी की ट्यूबैल खुदी हुई तथा मशीनघर का कमरा वगैरा बना हुआ है। आबादी भूमि की मूल भूत सुविधाओं के भवन बने हुए हैं। इस प्रकार उक्त आबादी स्थल को आधार मानते हुए राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेवन से हुई त्रुटिवंश तरमीम अशुद्धि को शुद्धि करवाई जाकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के नक्शे को खसरा संख्या 341/15 की तरमीम वर्तमान आबादी स्थल की बसावट के अनुसार तरमीम की जानी अति आवश्यक एवं लाजमी है। वर्तमान में खसरा संख्या 341/15 की वर्तमान तरमीम स्थल पर किसी भी प्रकार से कोई आबादी बसी हुई नही है। वर्तमान तरमीम स्थल निरजन एवं खाली स्थल है। जहॉ पर गै.मु. आबादी दर्ज हो गई, जो गलत है।

उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया मात्र रेकर्ड दुरूस्ती का है। जिसमें वर्तमान तरमीम करते समय आबादी स्थल को छोड़कर भिन्न स्थल पर नक्शे की तरमीम हो गई है। जो लिपिकीय भूल हैं। जिनकों दुरूस्त फरमाया जावे। गोयलों की ढाणी लवेरा कलां का आबादी स्थल है। जिनके पास नियमानुसार पंचायत द्वारा जारी पट्टे है। बिजली पानी के कनेक्शन है, जो आबादी भूमि में ही दिये जाते है। खाली स्थान पर हुई तरमीम को आधार मानकर लोग नये कब्जे करने पर आमादा है यदि उक्त तरमीम को दुरूस्त नही किया गया तो पक्षकारों के आपस में कब्जे को लेकर विवाद होगें। लोग अनावश्यक रूप से वाद–विवाद करेगें। एवं वाद बहुलता बढेगी। सामाजिक समरस्ता खडित होगी। इसलिए उक्त लिपिकीय त्रृटि को दुरूस्त फरमाया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 341/15 रकबा 0.8090 हैक्टयर किस्म गै.मु.आबादी की तहसीलदार बावड़ी से मौके की भौतिक स्थति अनुसार रिपोर्ट मंगवाई जाकर गलत हुई तरमीम एवं मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त का मिलान करने हेतु न्याय निर्णय में सुविधा हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर गलत हुई तरमीम को दुरूस्त फरमाया जावे। दिनांक 25.11.2021 को प्रशासंन गांवों के संग अभियान शिविर स्थल लवेरा कलां में तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका शिविर पश्चात् उक्त विषय में जानकारी की तो तहसीलदार बावड़ी द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती अपने क्षेत्राधिकार में नही होना बताकर दुरूस्ती से इन्कार करने से वाद बिन्दु कायम हुआ जो लगातार हो रहा है। राजस्व ग्राम लवेरा कलां श्रीमान् न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से [illegible] में घटित होने वाले राजस्व प्रकरण श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अप्रार्थी संख्या दो उक्त खसरा संख्या 341/15 का मालिक है। तथा आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है ग्राम लवेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:55:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Scanned with CamScanner

कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में से मूल खसरा 341/15 रकबा 0.8090 हैक्टयर किस्म गै.मु.आबादी की मूल आबादी क्षेत्र के भौतिक स्थल से हट कर भिन्न जगह दर्शायी गई वादग्रस्त तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर प्रार्थी एवं अन्य नागरिकों के आवासीय मकानात् एवं उपयोग-उपभोग एवं भौतिक रूप से कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्त फरमाई जावें। अन्य अनुतोष जो हितबद्ध प्रार्थी हो प्रार्थी के पक्ष में अतः फरमावे। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी संख्या एक भूमिधारी जरिये तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत लवेरा कलां को नोटिस जारी कर उक्त सम्बन्ध में जबाब में मौका रिपोर्ट तलव करने हेतु अप्रार्थीगणों को नोटिस एवं तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या एक तहसीलदार द्वारा उक्त सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो सामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत लवेरा कलां जरिये सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सही मानते हुए सहमति की अनुशंषा कर राजस्व रिकॉर्ड के ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम होना स्वीकार कर तरमीम दुरूस्ती हेतु सहमति जाहिर की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस कर उपरोक्त अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के वादग्रस्त खसरा संख्या 341/15 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी की ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड के नक्शे में हुई गलत तरमीम को दुरूस्त कर तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार एवं वर्तमान में गोयलों की ढाणी की बसावट के अनुसार सही तरमीम दर्ज कराने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत लवेरा कलां द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उभय पक्षकारान् की बहस सुनने के बाद मनन कर अवलोकन एवं अध्ययन किया जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्वत् प्रतित होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाता है, तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु तहसीलदार बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी के गोयालों की ढाणी की राजस्व सीमा में स्थित खसरा 341/15 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म गै.मु.आबादी की तरमीम दुरूस्ती की जाकर ऑनलाईन राजस्व नक्शे में सही तरमीम तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अमल-दरामद करावे। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट को इस आदेश का भाग माना जावे। एवं निर्णय का अंग सुमार समझा जावे। तहसीलदार बावड़ी को आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी कर माफिक आदेश पालना हो।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:55:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला जोधपुर

Scanned with CamScanner